पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 134/2023

अनवान :

राजेश कुमार पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा।
2. विजयदीप पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा।
3. बालाकुमारी पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालकस के खाता सं0 48/57 के खसरा सं0 131 की 1.9220है0, खसरा सं0 158 की 0.1520है0, खसरा सं0 160 की 4.3120 है0, खसरा सं0 169 की 2.9470है0, खसरा सं0 189 की 11.4950है0 की कुल 20.828है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह का नाम कलमजन कर प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह को 0.632है0 एवं शेष 3.533है0 में से वादी राजेश कुमार व प्रतिवादी सं0 2 विजयदीप को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner